

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.  
75/2018

पीठासीन अधिकारी  
प्रार्थना पत्र संख्या

श्री रामपाल सिंह पुत्र गुमान सिंह जाति राजपूत ग्राम गोला तहसील पीसागंन जिला  
अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
उपस्थित :- श्री रूपचन्द्र चौधरी श्री पुष्पेन्द्र सोनी - अभिभाषक प्रार्थी

-: निर्णय :- दिनांक 05.03.19

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-अ रा0 का0 अधिनियम 1955 का अप्रार्थी के विरुद्ध इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम पृथ्वीराज खेडा तहसील पीसागंन के खाता संख्या 13 खसरा नम्बर 1283/1400, 1535/1283 कुल किता रकबा 0.325 को प्रार्थी एवं उनके साथी दिनेश द्वारा संयुक्त रूप से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद किया गया जिसका नामान्तरण दिनांक 07.09.2018 को नामान्तरण संख्या 326 खोला गया । उक्त वर्णित भूमि पर आने जाने के लिये खसरा संख्या 1248, 1271, 1272 से होकर जाना पडता है जो कि आज वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सरकारी काबिल काश्त भूमि के रूप में दर्ज है। प्रार्थी अपनी खरीदशुदा आराजी का औद्योगिक संपरिवर्तन करा उस पर निर्माण करना चाहता है। परन्तु प्रार्थी को आने जाने का रास्ता नहीं होने से मुख्य सडक से खसरा संख्या 1248, 1271, 1272 में से 30 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी के खेत तक की लम्बाई में कीमतन रास्ता चाहता है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर खसरा संख्या 1248, 1271, 1272 में से 30 फिट चौडा कीमतन रास्ता स्वीकृत करके राजस्व रिकार्ड व नक्शे में उक्त रास्ते को दर्ज करे।

जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार पीसागंन से मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी। तहसीलदार पीसागंन से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही प्रार्थी के लिये सबसे नजदीक है। राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 3 (52) राज- 6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार अगर कोई खातेदार काश्तकार सरकारी सिवायचक आराजी से रिकार्डेड रास्ता चाहते हैं तो रास्ते की भूमि का



उपखण्ड अधिकारी एवं  
पतेन शाखायत महाराष्ट्र

Scanned by CamScanner

